

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 जुलाई 2014—आषाढ़ 16, शक 1936

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2014

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेर-पी.एस.जी.-02—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 10 अप्रैल, 2013 में श्रम विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए, श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निमानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1.	प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.	ग्रामीण क्षेत्र विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी.	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र सिविल सर्जन/ अधीक्षक मेडिकल कालेज अस्पताल.	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.2	विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	15 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त, नगर निगम	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर-पालिका/नगर परिषद.	15 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.3.	मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर-पालिका/नगर परिषद.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.3 (1)	अंत्येष्टि सहायता	ग्राम पंचायत	अंतिम संस्कार के दिन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	7 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
		शहरी क्षेत्र अ. नगर पालिका निगम	अंतिम संस्कार के दिन	अ. कलेक्टर	7 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. नगरपालिका/नगर परिषद.		ब. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	7 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.4	निर्माण श्रमिकों का पंजीयन	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.5	निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना।	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त, नगर पालिका निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.6	दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन.	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
2.7	दुकान संस्थान की स्थापना के पंजीयन का नवीनीकरण।	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिंजन राव, सचिव।